



केंद्रीय शुल्क के प्रधान आयुक्त का कार्यालय  
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CENTRAL TAX  
[केडर नियंत्रण प्राधिकारी CADRE CONTROLLING AUTHORITY]

हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालय HYDERABAD GST COMMISSIONERATE  
जीएसटी भवन, एल बी स्टेडियम रोड, बशीर बाग, हैदराबाद-500 004  
GST BHAVAN, L B STADIUM ROAD, BASHEER BAGH, HYDERABAD-500004

C.No.II/3/38/2016-Estt.

Date:20-03-2018

**स्थापना आदेश (रा.प.अ).सं.08/2018**

**ESTABLISHMENT ORDER (N.G.O.) NO.08/2018**

विषय: स्थापना- वाहन चालक ग्रेड-I की श्रेणी में पदोन्नति - श्री के.रामा राव, वाहन चालक ग्रेड-II द्वारा पदोन्नति को माना करना- संबन्धित

Sub:- Estt – Promotion to the cadre of Motor Driver Grade-I – Decline of Promotion by Shri K.Rama Rao, Motor Driver Gr.II – Reg.

\*\*\*\*\*

केन्द्रीय कर प्रधान आयुक्त, हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालय ने वित्त मंत्रालय के फा सं.ए 32018/3/89- AD.IIIA दिनांक 22.01.1990 के अनुसार भिजवाए गए कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के का.जा.सं.A-32012/10/89-AD.IIIA dated 25.10.1989 के पैरा 17.12 की शर्तों के अनुसार उनके अभ्यावेदन दिनांक 13-11-2017 में बताए गए कारणों को देखते हुए श्री के.रामा राव, वाहन चालक द्वारा पदोन्नति को छोड़ देने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।

Principal Commissioner of Central Tax, Hyderabad GST Commissionerate is pleased to accept the request of Shri K.Rama Rao, Motor Driver Gr.II to forgo the promotion in terms of para 17.12 of DOP &T, O.M.No.A-32012/10/89-AD.IIIA dated 25.10.1989 as communicated vide Ministry of Finance F.No.A-32018/3/89-AD.IIA dated 22.01.1990 in light of reasons adduced by his representation dated 13-11-2017.

2. पुनः उन्हें सूचित किया जाता है कि उनके पदोन्नति को मना करने कि तारीख (यानि 13-11-2017) से 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए या अन्य रिक्ति होने तक, जो भी बाद में आए तक पदोन्नति के लिए उनके मामले पर विचार नहीं किया जाएगा।

Further, he is informed that he will not be considered for promotion for a period of 1 (one) year from the date of refusal of promotion (i.e. from 13-11-2017) or till the next vacancy arises, whichever is later.

3. पैरा 2 में उल्लिखित उच्च श्रेणी में पदोन्नति होने पर उन्हें सूचित किया जाता है कि पहले उच्च पद पर पदोन्नत किए गए उनके कनिष्ठ की तुलना में उनकी वरीयता नष्ट हो जाएगी चाहे ऐसी पदोन्नति चयन द्वारा या अन्यथा आदेश किया गया हो।

On the eventual promotion as stated in para 2 above to the higher grade, he is informed that he will lose seniority vis-à-vis his junior promoted to the higher grade earlier irrespective of the fact whether such promotion is ordered by selection or otherwise.

4. यह प्रधान आयुक्त, केडर नियंत्रण प्राधिकारी, हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालय के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of Principal Commissioner, Cadre Control Authority, Hyderabad GST Commissionerate.

  
(पी.सी.अजितकुमार P.C.AJITHKUMAR)  
सहायक आयुक्त (क व सत)  
**ASSISTANT COMMISSIONER (P&V)**

सेवा में To

श्री के.राम राव, वाहन चालक ग्रेड-II, केन्द्रीय कर & सीमाशुल्क, मुख्य आयुक्त कार्यालय, हैदराबाद क्षेत्र, हैदराबाद।

Shri K.Rama Rao, Motor Driver Gr.II of Central Tax & Customs, Chief Commissioner's Office, Hyderabad Zone, Hyderabad.

प्रतिलिपि Copy submitted to:

- 1.The Chief Commissioner, Customs & Central Tax, Hyderabad/ Visakhapatnam Zone.
- 2.The Additional Commissioner (P&V), Central Tax & Customs and, Hyderabad GST Commissionerate.
- 3.The CAO/PAO, Central Tax & Customs, Hyderabad Zone.

  
(पी.सी.अजितकुमार P.C.AJITHKUMAR)  
सहायक आयुक्त (क व सत)  
**ASSISTANT COMMISSIONER (P&V)**